(वाद संख्या–**5755/17**)

18.06.2020

परिवादी, अखिलेश कुमार सिंह, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला दिनांक–31.07.2017 को परिवादी तथा उसके साथी मकेश्वर दास को सारण जिलान्तर्गत सहाजितपुर थाना के ए0एस0आई0 व चौकीदार के पुत्र द्वारा वाहन का कागजात मांगे जाने पर गाली–गलौज करने व मार–पीट करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन घटना को लेकर सहाजितपुर थाना कांड संख्या–18/18, दिनांक–14.03.18 संस्थित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन मामला, आरोप–पत्र समर्पित किये जाने के उपरान्त वर्तमान में न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन घटना को लेकर एक आपराधिक मामला एक सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई आदेश/निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामला को संचिकास्त करते हुए तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक